निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 389) पटना, मंगलवार, 30 जून 2020

सं० पर्या०/वन (मु०) 19/2017–890(ई०)/प०व०ज०प०
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

संकल्प
29 जून 2020

विषयः– बिहार राज्य में पेट–कोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग के विनियमन हेतु ईंधन नीति।

कच्चा पेट्रोलियम कोक (Raw Petroleum Coke), जिसे अक्सर पेट–कोक कहा जाता है, तेल शोधन कारखानों में तेल शोधन प्रक्रिया के दौरान जनित एक कार्बन–युक्त ठोस है। फर्नेस ऑयल भी कच्चे तेल के शोधन प्रक्रिया से भारी घटक के रूप में प्राप्त किया जाता है। सामान्यतया कोयले (0.5 से 1.0%) की तुलना में पेट–कोक (06 से 7.5%) एवं फर्नेस ऑयल (3.5%) में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इनके दहन से सल्फर–डाइ–ऑक्साइड का उत्सर्जन कई गुणा अधिक होता है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) संख्या 13029/1985 के संदर्भ में दिनांक 24.10.2017 को पारित आदेश द्वारा एन.सी.आर क्षेत्र के उद्योगों में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पेट–कोक और फर्नेस ऑयल के कारण होने वाला प्रदूषण केवल एन.सी.आर. क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक समस्या है।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में आयातित पेट–कोक के विनियमन एवं अनुश्रवण हेतु ज्ञापांक 18011/54/2018 CPA दिनांक 10.09.2018 द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त के आलोक में ईंधन के रूप में पेट–कोक का उपयोग करने हेतु आयात को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि पेट– कोक का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में अथवा सीमेंट, चूना–भट्ठा, कैल्सियम कार्बाइड और गैसीकरण जैसे कुछ उद्योगो की विनिर्माण प्रक्रिया में करने हेतु आयात की अनुमति दी गयी है।

4. उपरोक्त के आलोक में, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक–23.01.2020 एवं पुनः दिनांक–30.03.2020 को प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में फर्नेस ऑयल के बदले वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु संबंधित हितधारकों की बैठक बुलाई गयी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य में औद्योगिक इकाईयों में उपयोग हेतु वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 26,660 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल की आपूर्ति की गयी, जिसमें सीमेंट उद्योग (31%),

पावर (24%), रोलिंग मिल (12%), डेयरी (06%), रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर (12%), फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) (09%), रेलवे (01%) एवं अन्य (05%) सम्मिलित हैं।

5. राज्य के अंदर पेट–कोक का उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में नहीं किया जा रहा है। फर्नेस ऑयल के विकल्प के रूप में द्रवित प्राकृतिक गैस (Liquified Natural Gas)/हल्का डीजल ऑयल (Light Diesel Oil) का उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (IOCL) राज्य में एल.एन.जी. (LNG) की आपूर्ति हेतु नेटवर्क विकसित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन इसमें अभी करीब 3 वर्ष और लगेंगे।

6. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ राज्य सरकार पेट–कोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग हेतु ''ईंधन नीति'' (प्रति संलग्न–हिन्दी एवं अंग्रेजी में) निर्धारित की गई है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(i) पेट–कोक (आयातित या घरेलू स्तर पर उत्पादित) का उपयोग बिहार राज्य में किसी भी बॉयलर या भट्ठी या किसी भी प्रकार की उष्मन तंत्र (Heating system) में औद्योगिक ईंधन के रूप में नहीं किया जाएगा।

(ii) पेट–कोक (आयातित या घरेलू स्तर पर उत्पादित) का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में या कुछ निश्चित श्रेणी के उद्योगों में निर्माण प्रक्रिया यथा–क्लिंकर उत्पादन हेतु सीमेंट उद्योग में, चूना–भट्ठा, कैल्सियम काबाईड, गैसीफिकेशन, एल्मुनियम उद्योग में एनोड उत्पादन में एवं राज्य में कैलसाइन्ड पेट–कोक उत्पादन करने वाली कैल्साइनर उद्योगों में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के संदर्भ संख्या–Q-18011/54/2018-CPA दिनांक 10.09.2018 द्वारा पेट–कोक के विनियमन एवं अनुश्रवण हेतु अधिसूचित दिशा–निर्देश का पालन करते हुए किया जा सकता है।

(iii) किसी भी बॉयलर अथवा फर्नेस अथवा किसी प्रकार के मौजूदा परिचालित उद्योगों (Existing operational industries) के उष्मन तंत्र में फर्नेस ऑयल का उपयोग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NOx एवं SOx के लिए अधिसूचना संख्या GSR96 (E) दिनांक 29.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा समय–समय पर यथा संशोधित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हुए स्वच्छ ईंधन के रूप में LNG/PNG की आपूर्ति नेटवर्क विकसित होने तक किया जा सकेगा।

(iv) राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया जैसे वायु गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करने वाले शहरों (Non-attainment cities) तथा हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे अतिप्रदूषित क्षेत्र में नए/अथवा प्रस्तावित उद्योगों द्वारा फर्नेस ऑयल का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जायेगा।

(v) फर्नेस ऑयल आधारित उद्योगों को अन्य स्वच्छ ईंधन तकनीक में परिवर्तन हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में उद्योग विभाग, बिहार द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 389-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in